न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 79 सन् 2012

पंजीयन दिनांक :– 15.03.2012

1. लेहरू पिता देवा जाति जाट निवासी सोनियाना –मृतक के बजाय
   1. शंकरलाल पिता लेहरू जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
   2. गीताबाई पुत्री लेहरू जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
   3. राधाबाई पत्नि लेहरू जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. माधु पिता देवा जाति जाट निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–अपीलान्टगण

विरूद्ध

1. तुलछा पिता हेमा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
2. भोला पिता हेमा जाति बोला – मृत्यु होने से नाम हटाया
3. शंकर पिता हेमा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
4. होकमी बेवा हेमा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
5. काना पिता बेणा जाति बोला निवासी सोनियाना – मृतक के बजाय
   1. भेरू पिता काना जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
   2. नारायण पिता काना जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
6. खेमा पिता उदा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
7. एकलिंग पिता उदा जाति बोला –मृतक के बजाय
   1. श्यामलाल पिता एकलिंग जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
8. तारू पिता उदा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
9. जमना पिता उदा जाति बोला निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
10. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर चित्तौड़गढ
11. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ
12. श्रीमती कंचनदेवी पत्नि डालचंद जाति खटीक निवासी सोनियाना तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
13. ओमप्रकाश पिता भेरूलाल जाति खटीक निवासी उदयपुर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 31/2006 रेवेन्यू वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.08.2011

उपस्थित :– 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. चांदमल गर्ग–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4
3. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11
5. रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6,7,8, व 12,13 बावजूद सूचना अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज.)

निर्णय **दिनांक:- 07.02.2023**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण की ओर से रेस्पोडेन्ट सं. 9,10,11,1213 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सोनियाना तहसील गंगरार की वर्तमान आराजी नम्बर 2045 रकबा 0.12 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2046 रकबा 0.11 हेक्टेयर, 2047 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 2048 रकबा 0.18 हेक्टेयर, 2049 रकबा 0.05 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड है। वाद वर्णित कृषि आराजीयात के गत आराजी नम्बर 1908 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा दर्ज थी। गत आराजी नम्बर 1908 रेस्पोडेन्ट वादीगण सं. 1 से 3 के पिता हेमा वादी सं. 4 के पति हेमा व वादी सं. 5 के शामलाती खातेदारी मे व वादी सं. 6 से 9 के पिता उदा व प्रतिवादी सं. 3 कंचनदेवी की कृषि आराजीयात मे विक्रेता बालु के शामलाती खातेदारी मे अंकित थी। रेस्पोडेन्टगण वादीगण पीढी दर पीढी मालिकाना हक हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट वादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट वादी सं. 3, रेस्पोडेन्ट वादी सं. 4 होक्मी ने अपने 3/16 हिस्से की कृषि आराजीयात प्रतिवादी सं. 4 को विक्रय की थी। इस कारण प्रतिवादी सं. 4 शामलाती 3/16 हिस्से का सहखातेदार है। गत आराजी नम्बर 1908 का रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा था तथा गत नक्शा ट्रेस मे भी उक्त कृषि आराजीयात 3 बीघा 14 बिस्वा के हिसाब से अंकित थी। रेस्पोडेन्टगण वादीगण के पूर्वजो के उक्त कृषि आराजीयात कब्जे काश्त मे चली आ रही है। गत आराजी नम्बर 1908 का रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा का नया रकबा मेट्रिक प्रणाली अनुसार 0.76 हैक्टेयर बनता है। तथा भू-प्रबन्ध अधिकारियो ने गत आराजी नम्बर 1908 के नवीन आराजी नम्बर 2045 से 2049 तक कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर कायम किया। इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 11 द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण का रकबा गत आराजी नम्बर के रकबे मे से 0.14 हेक्टेयर कम कर दिया जो अवैधानिक है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 1 रेस्पोडेन्ट सं. 11 ने गत नक्शा ट्रेस के गत आराजी नम्बर 1908 को कम कर दिया तथा गत आराजी नम्बर 1908 का रकबा 0.14 हैक्टेयर रकबा वर्तमान आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर मे सम्मिलित कर दिया और वर्तमान आराजी नम्बर 2740 के नक्शा ट्रेस मे भी परिवर्तन कर दिया। रेस्पोडेन्ट वादीगण के गत नक्शा ट्रेस को कम कर नये आराजी नम्बर 2740 के नक्शा ट्रेस मे मिला दिया। वर्तमान आराजी नम्बर 2740 गत आराजी नम्बर 1978 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा का बना है। इस प्रकार गत आराजी नम्बर 1978 का रकबा वर्तमान मेट्रिक प्रणाली अनुसार 0.36 हैक्टेयर बनता है। इस प्रकार वर्तमान नये आराजी नम्बर 2740 का वर्तमान रकबा 0.26 हैक्टेयर होना चाहिये जिसके बजाय रेस्पोडेन्ट सं. 11 प्रतिवादी सं. 1 ने अवैधानिक रूप से 0.22 हैक्टेयर जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण की कृषि आराजीयात का रकबा है। वर्तमान आराजी नम्बर 2740 मे जोडकर उसका कुल रकबा 0.48 हैक्टेयर अवैधानिक रूप से बना दिया है। गत आराजी नम्बर 1978 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा बिलानाम सरकार रास्ता गैर मुमकिन अंकित थी। रेस्पोडेन्टगण 1 से 9 वादीगण के गत आराजी नम्बर 1908 से जुडी हुई थी जो गत नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट सं. 11 प्रतिवादी सं. 1 ने सिर्फ 0.05 हैक्टेयर ही अंकित कर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण का 0.14 हैक्टेयर रकबा कम कर दिया और वह रकबा वर्तमान

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

आराजी नम्बर 2740 मे बढा दिया और वर्तमान आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया। जबकि आराजी नम्बर 2740 का रकबा 0.26 हैक्टेयर ही होना चाहिये। ऐसा नही कर रेस्पोडेन्ट सं. 11 प्रतिवादी सं. 1 ने अपीलान्टगण 1 से 9 वादीगण के खातेदारी की वर्तमान आराजी नम्बर 2049 की 0.14 हैक्टेयर भूमि कम कर दी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण अपनी गत आराजी नम्बर 1908 के सम्पूर्ण रकबे 3 बीघा 14 बिस्वा जिसका नया रकबा 0.79 हैक्टेयर बनता है। उस समस्त रकबे पर काबिज है किन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण की खातेदारी मे व वर्तमान नक्शा ट्रेस मे 0.14 हैक्टेयर कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 11 प्रतिवादी सं. 1 ने कम कर नये आराजी नम्बर 2740 मे जोड दी। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण द्वारा यह घोषणा का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 10, 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत किया कि वर्तमान आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर मे रेस्पोडेन्ट वादीगण का 0.14 हैक्टेयर रकबा अवैधानिक रुप से अधिक जुडा हुआ है उसका 0.14 हैक्टेयर रकबे को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण की खातेदारी मे वर्तमान आराजी नम्बर 2049 की घोषित किया जावे। इसी प्रकार वर्तमान नक्शा ट्रेस मे भी 0.14 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के आराजी नम्बर 2049 मे बढाने की घोषणात्मक डिक्री प्रदान जावे। वर्तमान मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण के नये आराजी नम्बर 2740 के 0.14 हैक्टेयर पर जो रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के नये आराजी नम्बर 2049 का रकबा है, उस पर काबिज है। उस पर रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 वादीगण को हटाने पर आमादा है तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट. की कार्यवाही करने पर भी उतारू है इस कारण रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि नये आराजी नम्बर 2740 के रकबा 0.14 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के कब्जे काश्त के रकबे के उपयोग उपभोग मे दखलदांजी नही करे न किसी अन्य से करावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण 1 से 9 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। जवाबदावा हेतु अवसर चाहा परन्तु रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण ने विवादित कृषि आराजीयात की मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार गंगरार रेस्पोडेन्ट सं. 11 से मौका रिपोर्ट तलब की गई। वादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 की ओर से साक्ष्य ली जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 की साक्ष्य लिये बगैर बिना साक्ष्य बन्द किये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.14 हैक्टेयर भूमि की रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के पक्ष मे घोषणात्मक व स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2011 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे दिनांक 09.03.2012 को प्रथम अपील

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

म्याद बाहर प्रस्तुत की। अपीलान्टगण प्रार्थीगण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा नही होने से अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दिवानी का आवेदन प्रस्तुत किया।

अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4 वादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 की की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 2,5,6,7,8,12 व 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जाप्ता दिवानी मे वर्णित तथ्य विश्वसनीय व स्वीकार योग्य होने व अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से अपीलान्टगण प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की। म्याद को क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया।

न्यायहित मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम, 1963 मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद मानी जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्टगण प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 10 से 11 प्रतिवादीगण 1 व 2 के विरूद्ध मोजा सोनियाना तहसील गंगरार की नवीन आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर भूमि मे से 0.14 हैक्टेयर भूमि यह बताते हुए कि उक्त कृषि आराजी साबिक आराजी नम्बर 1978 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा से कायम हुई है। आराजी नम्बर 1978 का नवीन नाप से 0.26 हैक्टेयर ही बनता है फिर भी उक्त कृषि आराजीयात का रकबा अधिक दर्ज हुआ है, जिसकी घोषणा कराये जाने के अधिकारी है। नवीन आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रेकार्ड है। उसी रास्ते से लगी हुई अपीलान्टगण प्रार्थीगण की रूपान्तरित भूमि आराजी नम्बर 2050 रकबा 0.21 हैक्टेयर मे से मुख्य रास्ते पर लगी हुई 0.10 हैक्टेयर भूमि सक्षम प्राधिकारी से रूपान्तरित भूमि है व आराजी नम्बर 2740 उक्त कृषि आराजीयात पर आने-जाने का रास्ता मानते हुए रूपान्तरित की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत रास्ते की भूमि के सम्बन्ध मे किसी प्रकार की घोषणा नही की जा सकती है फिर भी अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 का बिना जवाबदावे लिये पत्रावली के

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

बिना तनकियात कायम किये रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण जो की अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय से प्रभावित पक्षकार है को पक्षकार मुकदमा कायम किये बगैर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के वादपत्र मे निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1,3,4 वादीगण ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण 1 से 9 वादीगण के साबिक आराजी नम्बर 1908 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रेकार्ड रही, जिसके नवीन आराजी नम्बर 2045,2046,2047,2048,2049 कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है जबकि नवीन नाप से रेस्पोडेन्टगण 1 से 9 वादीगण के खाते मे 0.14 हैक्टेयर रकबा कम अंकित कर दिया है जिसको दुरूस्त किये जाने व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 को अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे जवाबदावा का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया न ही रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण ने मौका रिपोर्ट तलब करवाई है, बयान व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर अपने वादपत्र को पूर्णतया प्रमाणित करवाया जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार नही होते हुए न्यायालय आप मे अपील प्रस्तुत की है जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत नही होना व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के विरूद्ध होना बताते हुए अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण 1 से 9 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 13 प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत कर मौजा सोनियाना तहसील गंगरार की साबिक आराजी नम्बर 1908 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 2045, 2046, 2047, 2048, 2049 कुल किता 5 कुल रकबा 0.62 हैक्टेयर दर्ज होना बताते हुए नवीन आराजी नम्बर 2740 रकबा 0.48 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता मे से 0.14 हैक्टेयर कृषि आराजीयात की घोषणात्मक डिक्री चाही गई। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादीगण 1 व 2 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ, न ही रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादीगण 1 व 2 का जवाबदावा बन्द हुआ है न ही रेस्पोडेन्ट सं. 10 व 11 प्रतिवादीगण 1 व 2 को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है। आराजी नम्बर 2740 से लगी हुई आराजी नम्बर 2050 अपीलान्टगण प्रार्थीगण की रूपान्तरित आराजीयात है, जिसमे से 0.10 हैक्टेयर भूमि जो कि आराजी नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

2740 गैर मुमकिन रास्ते पर अवस्थित है जो रुपान्तरित भूमि है व उक्त आराजीयात पर आने-जाने का रास्ता आराजी नम्बर 2740 ही है व उक्त भूमि रास्ते की भूमि है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टगण प्रार्थीगण भी वादपत्र मे आवश्यक पक्षकार मुकदमा थे फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण ने अपीलान्टगण प्रार्थीगण को पक्षकार मुकदमा बनाये बगैर वादपत्र प्रस्तुत कर बिना प्रमाणित कराये अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 9 वादीगण के पक्ष मे निर्णय व डिक्री पारित किये है जो विधिसम्मत नही होने से अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपीलान्टगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगरार के प्रकरण संख्या 31/2006 रेवेन्यू वाद मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2011 निरस्त किया जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो की प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह अपीलान्टगण प्रार्थीगण को प्रकरण मे प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार मुकदमा कायम कर प्रतिवादीगण का जवाबदावा रेकार्ड पर लिया जाकर पत्रावली मे तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दिवानी की पालना करते हुए तनकीवार अजसरे नव निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय दिनांक 29.03.2023 को स्वयं उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(हरसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)